न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 01/2018 ::

अपीलांटगण :—

1. पानीदेवी बेवा स्व. शिवाराम जी
2. पिंकी पुत्री स्व. शिवारामजी जातिगण पटेल निवासीगण 104, पटेलों का बास रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
3. संजू पुत्री स्व. शिवाराम धर्मपत्नी ओमाराम पटेल निवासी बिठू, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :—

1. इन्द्रा देवी पुत्री स्व. शिवाराम धर्मपत्नी बस्ताराम पटेल निवासी 108, पटेलों का बास, गाजनगढ़, चोटिला, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट तहसील रोहट जिला पाली
3. अतिरिक्त तहसीलदार रोहट, तहसील रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री दौलत मकवाना
अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट श्री नौरतन चौहान

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 7.03.19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2076 आदेश दिनांक 16.05.1993 मौजा रोहट जो अति. तहसीलदार रोहट द्वारा पारित को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट संख्या 1 सविया की पत्नी है तथा अपीलाण्ट संख्या 2, 3 व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सविया की पुत्रियां है, जो पटेलों का बास रोहट की निवासी है। ग्राम रोहट पटवार हल्का रोहट तहसील रोहट के खसरा नम्बर 77 रकबा 93 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी II, खसरा नम्बर 505 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी I की भूमि स्थित है। अपीलाण्ट संख्या 1 के पति व अपी. सं. 2 व 3 के पिता तथा रेस्पो. सं. 1 का पिता सविया उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज था। जिसकी मृत्यु के उपरान्त जैर अपील नामान्तरकरण सख्या 2076 भरा जाकर दिनांक 16.05.1993 को अति. तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया, उसमें सविया की पत्नी पानीदेवी का नाम पानकी तथा पुत्री पिंकी का नाम चन्दूडी एवं पुत्री संजू का नाम धापूडी गलत दर्ज कर दिया गया, जबकि सही नाम पानीदेवी बेवा सविया तथा पिंकी, संजू एवं इन्द्रा पुत्रियां सविया होना चाहिए था। पटवारी हल्का द्वारा सविया के वारिसान को सुनवाई का बिना नोटिस दिए, बिना सुने, बिना जांच के गलत नाम इन्द्राज कर दिया, जिसे सही किया जावें। अपने तर्क की ताईद में वकील अपीलाण्ट द्वारा पानी देवी उर्फ पानी बेवा सविया पुत्र छोगा का शपथ पत्र, राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की फोटो पतियां तथा स्कूल की अंकतालिका आदि पेश करते हुए अपीलाण्टगण का नाम दुरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्टगण को सर्वप्रथम दिनांक 27.11.2017 को जब वे भूमि विकास

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

बैंक से लोन लेने हेतु हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की प्रतियां मांगी तो उनको उनके नामों के संबंध में पता चला। जिससे अपीलाण्टगण को पता चलते ही अधिवक्ता से मिलकर अपील श्रीमान के समक्ष पेश की, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वक्त बहस अपील के कथनों को सत्य बताया तथा उनका नाम संशोधन करने में किसी प्रकार की आपत्ती नहीं होने बाबत कथन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं मूल नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। पानकी के शपथ पत्र, स्कूली दस्तावेजों एवं आधार कार्ड आदि का अवलोकन से अपीलाण्टगण के नाम का इन्द्राज फौतेदगी नामान्तरकरण में गलत इन्द्राज प्रतीत होता है। यद्यपि नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक तथा अपीलाण्ट संख्या 2 के जन्म दिनांक में भिन्नता है। फिर भी नाम में भिन्नता से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है। इसलिए अपीलाण्ट के नामों का गलत इन्द्राज सही किया जाना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अति. तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत मौजा रोहट के नामान्तरकरण संख्या 2076 दिनांक 15.06.1993 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार रोहट को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. सविया के विधिक वारिशानों की बाद जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सभी वारिशान के नामों की विधी सम्मत जांच कर सही नामों का इन्द्राज करते हुए नामान्तरकरण पारित किया जावें। तहसीलदार रोहट को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 2076 पालनार्थ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 7.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली